भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1827
जिसका उत्तर बुधवार, 03 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

परिवार न्यायालय

1827. डॉ. हिना विजय कुमार गावीत :
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :
श्री सुनील दत्तोत्रेय तटकरे :
श्री कुलदीप राय शर्मा :
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :
डॉ. सुभाष रामराव भामरे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के परिवार न्यायालयों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है ;
(ख) देश में बढ़ती पारिवारिक/घरेलू हिंसा से निपटने की वर्तमान स्थिति क्या है और परिवार न्यायालयों की क्या भूमिका है ;
(ग) इन न्यायालयों द्वारा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की वर्ष, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है ;
(घ) क्या इन न्यायालयों में घरेलू/परिवार हिंसा से संबंधित मामलों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;
(ङ) क्या केन्द्र सरकार को ऐसे न्यायालयों की स्थापना के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से आवेदन प्राप्त हुए हैं ; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस पर की गई कार्रवाई का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : देश में राज्य /संघ राज्य क्षेत्र बार कुटुम्ब न्यायालयों की कुल संख्या **उपाबंध -1** के अनुसार है ।

(ख) से (ग) : कुटुम्ब न्यायालयों की भूमिका और कार्य , कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 द्वारा नियंत्रित होते हैं । कुटुम्ब न्यायालयों का गठन , उच्च न्यायालय के परामर्श से , राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से , सुलह को बढ़ावा देने और पारिवारिक विवादों के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से किया जाता है । इन न्यायालयों द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में राज्य /संघ राज्य क्षेत्रवार , उच्च न्यायालयों से प्राप्त निस्तारित मामलों की संख्या **उपाबंध -2** के अनुसार है ।

(घ) : कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम ,1984 के अनुसार मामलों के निपटारे के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है , तथापि , घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम ,2005 की धारा 12(5) के अनुसार , मजिस्ट्रेट , उपधारा (1) के अधीन दिये गए प्रत्येक आवेदन को इसकी पहली सुनवाई की तारीख से साठ दिनों के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा ।

मामलों को निपटाने का उत्तरदायित्व प्राथमिक तौर पर न्यायपालिका का है । 'मुख्यमंत्रियोँ ' और 'मुख्य न्यायाधीशों ' के सम्मेलन 2015 में , सभी उच्च न्यायालयों को नियमित रुप से निगरानी और ऐसे मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए आवश्यक कदमों को उठाने के निर्देश जारी किए गए थे । सरकार ने न्यायिक प्रणाली में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए न्यायपालिका की सहायता के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें , अन्य बातोँ के साथ , कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयोँ के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा , न्यायिक अधिकारियों /न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि , अत्यधिक मुकदमेबाजी की संभावना युक्त क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय और मानव संसाधन विकास पर जोर सम्मिलित है ।

(च) : अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना , जिसमें कुटुम्ब न्यायालय भी सम्मिलित है , राज्य सरकारों के अधिकार - क्षेत्र में है , जो संबंद्ध उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपनी अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार ऐसे न्यायालयों को स्थापित करते हैं ।

****

उपाबंध -1

क्र .सं .	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र का नाम	(31.03.2019 की स्थिति के अनुसार) क्रियाशील परिवार न्यायालयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	14
2.	आसम	05
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	मि जो रम	0
5.	नागालैंड	02
6.	बिहार	39
7.	छत्तीसगढ़	21
8.	दिल्ली	21
9.	गोवा	0
10.	महाराष्ट्र	33
11.	गुजरात	37
12.	हरियाणा	22
13.	पंजाब	16
14.	चंडीगढ़	0
15.	हिमाचल प्रदेश	03
16.	जम्मू - कश्मीर	0
17.	झारखंड	19
18.	कर्नाटक	32
19.	केरल और लक्षद्वीप	28
20.	मध्य प्रदेश	58
21.	मणिपुर	07
22.	मेघालय	0
23.	ओड़िशा	25
24.	राज स्थान	39
25.	सिक्किम	04
26.	तमिलनाडु	30
27.	पुडुचेरी	02
28.	त्रिपुरा	04
29.	उत्तर प्रदेश	108
30.	उत्तराखंड़	16
31.	पश्चिमी बंगाल और अंदमान व निकोबार	03
32.	तेलंगाना	16
33.	दमन और दीव	0
34.	दादर और नागर हवेली	0
कुल	**604**	

उपाबंध -2

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार परिवार न्यायालयों की संख्या	परिवार न्यायालय के दौरान निपटाए गए मामले 2016*	परिवार न्यायालय के दौरान निपटाए गए मामले 2017	परिवार न्यायालय के दौरान निपटाए गए मामले 2018	परिवार न्यायालय के दौरान निपटाए गए मामले 2019
1.	बिहार	39	21141	23023	19440	31.05.2019 की स्थिति के अनुसार 9807
2.	सिक्किम	04	303	305	282	मई , 2019 की स्थिति के अनुसार 132
3.	महाराष्ट्र	33	22244	23672	24385	मई , 2019की स्थिति के अनुसार 10911
4.	पंजाब	16	5704	6195	5622	30.04.2019की स्थिति के अनुसार 8869
5.	हरियाणा	22	15789	15361	17274	30.04.2019 की स्थिति के अनुसार 11939
6.	कर्नाटक	32	16062	19464	21724	मई , 2019 की स्थिति के अनुसार 9886
7.	असम	05	3591	3731	3942	31.05.2019 की स्थिति के अनुसार 2100
8.	नागालैंड	02	183	165	139	31.05.2019 की स्थिति के अनुसार 39
9.	आंध्र प्रदेश	14	6574	6199	6895	15.06.2019 की स्थिति के अनुसार 2826
10.	केरल और लक्ष्द्वीप	28	50530	52151	51937	31.05.2019 की स्थिति के अनुसार 21360
11.	उत्तराखंड़	16	6498	8982	10829	31.05.2019की स्थिति के अनुसार 3943
12.	राज स्थान	39	24818	27172	30380	31.05.2019 की स्थिति के अनुसार 15666
13.	छत्तीसगढ़	21	-	11016	11428	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 3797
14.	दिल्ली	21	26006	32692	38534	31.05.2019 की स्थिति के अनुसार 16343
15.	हिमाचल प्रदेश	03	-	6901	7553	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 1885
16.	झारखंड	19	-	9663	8057	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 3005
17.	मध्य प्रदेश	58	-	28800	30971	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 8906
18.	मणिपुर	07	1058	1199	757	31.05.2019 की स्थिति के अनुसार 335
19.	ओड़िशा	25	-	8695	7474	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 2896
20.	तमिलनाडू	30	-	22988	19094	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 4316
21.	पुंडूचेरी	02	-	797	972	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 246
22.	त्रिपुरा	04	1658	2090	2584	31.05.2019 की स्थिति के अनुसार 1388
23.	उत्तर प्रदेश	108	179724	151644	162857	31.05.2019 की स्थिति के अनुसार 95564
24.	पश्चिमी बंगाल और अंदमान व निकोबार	03	-	285	725	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 125
25.	तेलंगाना	16	-	9926	10462	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 1908

*** 2016के संबंध में; सभी उपलब्ध विवरण प्रस्तुत किया गया है।**